न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर (जोधपुर) राज०

पीठासीन अधिकारी :– श्री नेमा राम आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 183/2023
जीसीएमएस नं. :– 2023/313

प्रार्थी :–
कन्हैयालाल पुत्र मिसाराम
जाति माली निवासी आमलिया बेरा
पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण :–
तहसीलदार, तहसील कार्यालय
पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता :
श्री ओमप्रकाश कच्छावाह प्रार्थी की ओर से
अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर

दर्ज दिनांक :– 25.10.2023

''आदेश''

दिनांक : 3.3.25

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. भू. राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है कि ग्राम पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में प्रार्थी के पिता व अन्य की पुश्तैनी सहखातेदारी, कब्जासुद कृषि भूमि खसरा नम्बर 1308 क्षेत्रफल 2.8881 हैक्टेयर किस्म चाही तृतीय कृषि भूमि आई हुई है जिसको आगे प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा, सबूत में नकल जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 की प्रमाणित प्रति संलग्न है। ग्राम पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में प्रार्थी के पिता व अन्य की पुश्तैनी सहखातेदारी, कब्जासुद कृषि भूमि खसरा नम्बर 1309 क्षेत्रफल 0.1375 हैक्टेयर किस्म गै.मु. ढाणी, खसरा नम्बर 1310 क्षेत्रफल 0.0728 केस्म गै.मु. ढाणी, खसरा नम्बर 1312 क्षेत्रफल 0.9465 हैक्टेयर किस्म चाही तृतीय कृषि भूमि आई हुई है, जिसको आगे प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा, सबूत में नकल जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 की प्रमाणित प्रति संलग्न है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या एक व दो में वर्णित वादग्रस्त आराजी प्रार्थी के दादा जुगाराम जी पुत्र गिरधारीराम जी व अन्य की सहखातेदारी कब्जाकाश्त की कृषि भूमि रही है, प्रार्थी के दादा जुगाराम जी का स्वर्गवास होने पर विरासत का नामान्तरकरण संख्या 138 बस्तीराम, मिसाराम, गेंवरराम, कुनाराम पी. जुगाराम 1/4 के नाम से स्वीकृत किया हुआ है। नामान्तरकरण संख्या 246 में भी वादग्रस्त आराजी उक्तानुसार का विरासत का नामान्तरकरण बस्तीराम, मिसाराम, गेवरराम, कुनाराम पी. जुगाराम 1/4 के नाम से स्वीकृत किया हुआ है। नामान्तरकरण संख्या 138 का अमलदरामद सम्वत् 2019 से 2022 की जमाबन्दी में नहीं हो रखा है। सम्वत् 2023 से 2026 की जमाबन्दी में खातेदार के कॉलम में बस्ता गेवर कुना पी. जुगा ना.नं. 138 इन्द्राज किया हुआ है। हल्का पटवारी द्वारा सम्वत् 2023 से 2020 की चौसाला जमाबन्दी में

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

नामान्तरकरण संख्या 138 के अनुसार इन्द्राज करते समय मानवीय भूलवश व सेवन से त्रुटिवश प्रार्थी के दादा मिसाराम पुत्र जुगाराम का नाम इन्द्राज होने से रह गया है जो एक लिपीकीय त्रुटि है, जिसको दुरूस्त किया जाना अति आवश्यक है क्योंकि नामान्तरकरण संख्या 138 में स्व. जुगाराम जी के चारो पुत्र बस्ताराम, गेवरराम, मिसराराम, कुनाराम पी. जुगाराम के नाम से स्वीकृत किया हुआ है। जिसकी प्रति संलग्न पेश है। प्रार्थी के पिता मिसाराम जी का स्वर्गवास हो चुका है उनके हक हिस्से की भूमि पर प्रार्थी का कब्जाकाश्त व उपयोग उपभोग चला आ रहा है प्रार्थी के पिता की ग्राम पीपाड़ शहर व ग्राम सिन्धीपुरा में स्थित भूमियों में प्रार्थी के पिता का नाम इन्द्राज था इसलिए विरासत का नामान्तरकरण प्रार्थी व अन्य के नाम स्वीकृत किये हुए है। वादग्रस्त आराजी में ही लिपीकीय त्रुटिवश सेवन से प्रार्थी के पिता का नाम इन्द्राज नहीं हुआ है जिसको न्यायहित में दुरूस्त किया जाकर चौसाला जमाबन्दी सम्वत् 2023 से 2026 की जमाबन्दी में मिसाराम पुत्र जुगाराम, इन्द्राज करने का आदेश फरमायें तथा उक्त जमाबन्दी के पश्चात् तैयार की गई तमाम जमाबन्दियों भी प्रार्थी के पिता का नाम मिसाराम पुत्र जुगाराम इन्द्राज करने हेतु तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेशित करवावें। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के पेश कर श्रीमान् न्यायालय हाजा से विनम्र निवेदन है कि ग्राम पीपाड़शहर में स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1308 क्षेत्रफल 2.8881 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1309 क्षेत्रफल 0.1375 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1310 क्षेत्रफल 0.0728 हैक्टेयर, व खसरा नम्बर 1312 क्षेत्रफल 0.9495 हैक्टेयर भूमि का राजस्व रेकर्ड दुरूस्त फरमाया जाकर चौसाला जमाबन्दी सम्वत् 2023 से 2026 की जमाबन्दी में बस्ता, गेवर, कुना, पी. जुगा के स्थान पर बस्ता, गेवर, मिसाराम, कुनाराम पी. जुगाराम इन्द्राज करने का आदेश फरमावें तथा उक्त जमाबन्दी के पश्चात् तैयार की तमाम जमाबन्दियों में प्रार्थी के पिता का नाम मिसाराम पुत्र जुगाराम इन्द्राज करने हेतु तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेशित फरमावे।

हमने प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया । अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर को नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया हैं कि ग्राम पीपाड़ शहर के खसरा नम्बर 1308, 1309, 1310, 1312 में नामांन्तरण सं. 246 द्वारा जुगाराम पुत्र नैनाराम के स्थान पर उनके चारो पुत्रों बस्तीराम, मिसराराम, घेवराराम, कुनाराम पिता जुगाराम का नाम दर्ज हुआ परन्तु रेकर्ड में अमलदरामद करते समय मिसराराम (मिसाराम) पिता जुगाराम का नाम छुट गया जो आदिनांक तक छुटा हुआ हैं। तहसीलदार पीपाड़ शहर की रिपोर्ट के आधार पर वादग्रस्त आराजी में मिसराराम (मिसाराम) पुत्र जुगाराम का नाम उनके भाईयो के साथ–साथ जोड़ने/दर्ज करने की अनुशंषा की जाती हैं तो भूमिधारी को कोई आपति नही हैं।

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेशित किया जाता है कि ग्राम पीपाड़ शहर के खसरा नम्बर 1308, 1309, 1310, 1312 में नामांन्तरण सं. 246 द्वारा जुगाराम पुत्र नैनाराम के स्थान पर उनके चारो पुत्रों बस्तीराम, मिसराराम, घेवराराम, कुनाराम पिता जुगाराम का नाम दर्ज हुआ परन्तु रेकर्ड में अमलदरामद करते समय मिसराराम (मिसाराम) पिता जुगाराम का नाम छुट गया जो आदिनांक तक छुटा हुआ हैं। तहसीलदार पीपाड़ शहर की रिपोर्ट के आधार पर वादग्रस्त आराजी में मिसराराम (मिसाराम) पुत्र जुगाराम का नाम उनके भाईयो के साथ–साथ जोड़ने/दर्ज कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें। इस आशय की तहरीर जारी हों।

(नेमा राम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 3.3.5 को सर–ए–इजलास सुनाया गया ।

(नेमा राम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर